

फर्द अहकाम

न्यायालय SPC जयपुर में संलग्न

संयुक्त

बनाम श्रीमती किशोरी देवी

/ 20

मुकदमा संख्या/वर्ष 38/20/8

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	1/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। न्याय राज्य के पत्रावली पूर्वानुसार को पेश है।</p>	
	5/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील का पत्र पेश किया गया। सं 6 ने जवाब पेश किया है। जवाब पेश किया जा रहा है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानर)</p>	
	29/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उग्र पक्ष उपस्थित पक्ष उग्र पक्ष जर्नल पक्ष के आर्डर सुनी गई। पक्ष वी. डार्विन पत्रावली का मस इतिषिक्त सवलेकन किया। सवलेकन पर उग्र पक्ष के अलकाड का मिस्तारण किया जा चुका है। अतः शरु जर्नल पक्ष अलकाड निषेधाज्ञा के आगे चलाये जाने का कोई आशय नहीं रह जाता है। अतः प्रथम पक्ष अलकाड निषेधाज्ञा इसी स्तर पर जारी किया जाता है। पत्रावली फूलक शुभाह है, दर्ज नम्बर से कम्प्लेंट, लाइ टकिया दायित्व दफ्तार है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानर)</p>	